

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर दिनांक /02/2017

क्रमांक एफ 4-5/2008/11/6 : छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, की धारा-43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998, के नियम-4 के अंतर्गत देय शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अनुसूची
(नियम 4 देखिये फीस)

क्र	विवरण	शुल्क
1.	धारा-7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण।	रुपये 5000.00
2.	धारा-7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण।	रुपये 1000.00
3.	धारा-7 के अधीन नवयुवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण।	रुपये 1000.00
4.	धारा-7 के अधीन महिला स्व. सहायता समूह का रजिस्ट्रीकरण।	रुपये 500.00
5.	धारा-10 के अधीन प्रत्येक संशोधन हेतु।	रुपये 1000.00
6.	धारा-21 की उपधारा (3) के अधीन (क) उपधारा(1) अधीन आवेदन- अ. क्रय के लिए अनुज्ञा हेतु।	क्रय मूल्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हो, का 2 प्रतिशत
	ब. विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु।	विक्रय का मूल्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हो, का 5 प्रतिशत
	स. प्रत्येक दान के लिये	रुपये 25,000.00
	द. धारा-21 की उपधारा-2, के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग हेतु	रेखांक (प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रुपये 50,000.00, इसमें से जो भी अधिक हो,
	इ. भूमि लीज पर लेने हेतु	प्रीमियम का 2 प्रतिशत
	फ. भूमि लीज पर देने हेतु	प्रीमियम मूल्य का 5 प्रतिशत
	ज. भूमि बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनुमति	शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मूल्य का 5 प्रतिशत

7.	धारा-27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष	रुपये 1000.00
8.	धारा-28 के संपरीक्षित विवरण	रुपये 1000.00
9.	धारा-29 के अधीन प्रतियां	अ. रुपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य, ब. रुपये 40.00 प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक, स. रुपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर, द. रुपये 100.00 निरीक्षण विवरणी/मूल फाईलें,

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

नया रायपुर दिनांक 04/02/2017

पृष्ठां. क. एफ 4-5/2008/11/6

प्रतिलिपि:-

- 1 महामहिम राज्यपाल के सचिव राजभवन सचिवालय रायपुर।
- 2 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3 मुख्य सचिव, के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 5 स्टाफ आफिसर अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 6 संचालक, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 7 समस्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
- 8 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
- 9 पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ, ब्लॉक-1 तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
- 10 सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर संभाग।
- 11 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय छ0ग0 राजनांदगांव की ओर उपर्युक्त अधिसूचना आदेश छ0ग0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु मार्गदर्शिका

1. समिति पंजीयन हेतु ज्ञापन एवं नियमावली की तीन-तीन प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. ज्ञापन पत्र में कम से कम 7 अभिदाता/निर्माणकर्ता होना अनिवार्य है, उनके नाम, पिता के नाम, पूर्ण आवासीय पते एवं उपजीविका का उल्लेख हो।
3. समिति का नाम अधिनियम की धारा 6 के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि पूर्व में अन्य प्रस्तावित नाम से पंजीकृत हो तो नाम परिवर्तन किया जाना चाहिये।
4. समिति के उद्देश्य, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक एवं खैराती संबंधित हो।
5. ज्ञापन एवं नियमावली में एक समान उद्देश्य, एक समान संस्था का नाम एवं पता अंकित होना आवश्यक है।
6. नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के कार्यकारिणी सदस्य के कम से कम तीन-तीन हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
7. ज्ञापन पत्र में अभिदाताओं के हस्ताक्षर किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। साक्ष्य का नाम, पता इत्यादि पूर्ण उल्लेखित होना चाहिए।
8. प्रस्ताव अंकित अथवा कम्प्यूटराईज किया हुआ होना चाहिये, छायाप्रति नहीं।
9. पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क – समाज समिति हेतु 5000/–, महिला मंडल हेतु 1000/– एवं नवयुवक मंडल हेतु 1000/– निर्धारित है, जो चालान द्वारा निम्न मद में पटाकर चालान की मूलप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है। महिला स्व सहायता समूह हेतु पंजीयन शुल्क 500/– रुपये का चालान जमा कराया जाना चाहिए।

“1475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

200– अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन”

10. प्रस्ताव साफ एवं स्वच्छ प्रतियों में जमा करना अनिवार्य हैं।
11. चालान में पूर्ण शीर्ष-मुख्य एवं लघु दोनों अंकित होना चाहिए अन्यथा चालान स्वीकृत योग्य नहीं माना जावेगा।
12. त्रुटिपूर्ति उपरांत पंजीयन प्रकरण में पत्राचार के समय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ के पत्र क्रमांक दिनांक का संदर्भ अवश्य देना चाहिए।